

## कलकत्ता विश्व विद्यालय आयोग :-

अथवा

**सैडलर आयोग :-** 14 सितम्बर 1917 ई० को कलकत्ता विश्वविद्यालय की समरूपाओं का

अध्ययन करने और उनके सम्बन्ध में अपने सुझाव देने के लिए लीड्स विश्व विद्यालय के कुलपति डा० माइकेल सैडलर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति के साथ ही इस आयोग से यह अपेक्षा की कि वह अन्य भारतीय विश्व-विद्यालयों की समरूपाओं का भी अध्ययन करें और उनमें सुधार के लिए सुझाव दें।

चूंकि इस आयोग के अध्यक्ष डा० सैडलर थे, इसलिए इसे उनके नाम पर सैडलर आयोग भी कहते हैं।

### आयोग का कार्यक्षेत्र :-

1. कलकत्ता विश्वविद्यालय की तत्कालीन स्थिती और समरूपाओं का अध्ययन करना।
2. अन्य भारतीय विश्व विद्यालयों का अध्ययन करना और उसके आधार पर समस्त भारतीय विश्वविद्यालय में सुधार के लिए सुझाव देना।

### आयोग का प्रतिवेदन :-

आयोग ने अनुभव किया कि विश्व विद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए, उससे पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार के होना पहली आवश्यकता है। अतः उसने पूरे भारत का भ्रमण करके तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिती का अध्ययन किया और समस्त विश्वविद्यालयों की समरूपाओं का भी अध्ययन किया। इसके बाद इन समरूपाओं के विषय



पर विचार किया। आयोग ने प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार परियोजना के बाद मई 1919 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की। यह रिपोर्ट एक विस्तृत आभिलेख है, जो प्रारम्भिक शिक्षा को विभाजित है।

### कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशें :-

#### 1. माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव :-

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में

आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये -

- (i) प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाये।
- (ii) इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाये।
- (iii) इंटर कॉलेज या तो अलग से खोले जाये या इंटर कक्षाओं को हाईस्कूल से जोड़ दिया जाये।
- (iv) इंटर कक्षाओं में कला, वाणिज्य, विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
- (v) माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी और गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाये जाये।

#### 2. समस्त भारतीय विश्वविद्यालय एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सुझाव :-

- (i) विश्वविद्यालय को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाये ताकि उन्हें हर क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान की जाये।
- (ii) विश्वविद्यालय को माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाये व कार्य भार कम किया जाये।
- (iii) विश्वविद्यालयों के प्रशासन सम्बन्धी नियम सरल और स्पष्ट किये जायें।
- (iv) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम निर्माण, और परीक्षा सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए अध्यापन बोर्ड और Academic Council का



गठन किया जाये।

- (v) विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का पद वैतनिक किया जाये।
- (vi) विश्वविद्यालयों में प्रत्येक विभाग में एक प्रोफेसर एवं अध्यापक की नियुक्ति की जाये।
- (vii) विश्वविद्यालयों में लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए चयन समितियाँ बनायी जाये। इनमें विश्वविद्यालय से बाहर के सदस्य भी रहे जाये।
- (viii) विश्वविद्यालयों में योग्य छात्रों के लिए तीन वर्षीय डिग्री कोर्स के साथ ऑनर्स कोर्स शुरू किये जाये।
- (ix) विश्वविद्यालय में भिन्न-2 प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू किये जाये और भारतीय भाषा को महत्व दिया जाये।
- (x) विश्वविद्यालय में व्यावसायिक विषयों जैसे- कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग के अध्यापन की व्यवस्था की जाये।
- (xi) विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा और शोध कार्य की उचित व्यवस्था की जाये।
- (xii) छात्रों के शारीरिक विकास के लिए एक शारीरिक शिक्षा संचालक की नियुक्ति की जाये।

### कलकत्ता विश्व विद्यालय सम्बन्धी विशेष सुझाव:—

1. इनका में शीघ्र ही आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये, जिससे कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम हो।
2. कलकत्ता नगर में स्थित सभी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से इस प्रकार जोड़ा जाये कि वे विश्वविद्यालय के शिक्षण कालेज के रूप में कार्य करें। इससे उनके स्तर में सुधार होगा।
3. कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बन्ध कलकत्ता नगर के से बाहर के महाविद्यालय को इस प्रकार विकसित किया जाये कि भाविष्य में उन्हें नये विश्वविद्यालय का रूप दिया जा सके।



4. कलकत्ता विश्वविद्यालय में पर्सिीन पुवतियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाये। (V)

**अन्य समस्याओं सम्बन्धी सुझाव :-** (IV)

1. आयोग ने देखा कि उस समय पढ़ने वाले बच्चों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बहुत कम थी। आयोग ने महिला शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु, अर्थात् शिक्षा का विशिष्ट बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया। (III)

2. आयोग ने देश में अध्यापक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्र विषय को सम्मिलित करने का सुझाव दिया।

3. आयोग ने देखा कि उस समय किसी भी स्तर की शिक्षण संस्थानों में मुसलमान बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम थी। इसीलिए उसने सुझाव दिया कि देश में मुसलमान बच्चों और पुवकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय। (II)

4. आयोग ने यह भी देखा कि देश में मुस्लिम पुवतियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसने आध्यापक स्तर पर पर्सिीन संस्थाओं के सुझाव दिया।

**कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का भूलांकन :- 1.**

**गुण :-** 1. प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निर्माण

2. माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी व गाणित विषयों को हीटकर अन्य सभी विषयों का शिक्षण मातृ भाषाओं के माध्यम से करना। (8)

3. विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करकर स्वायत्त प्रदान करना।



4. विश्वविद्यालयों में अध्यापन बोर्ड और Academic Council का निर्माण।
5. विश्वविद्यालयों में विभागों की स्थापना
6. विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे - कृषि, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और शिक्षक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था।
7. विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विभागों की स्थापना और शारीरिक शिक्षा संचालकों की नियुक्ति।

**दोष:-** 1. माध्यमिक स्तर पर परीक्षीय स्कूलों की स्थापना। पहली बात तो यह है कि ऐसा किया ही नहीं जा सका और यदि ऐसा किया गया होता तो मुसलमानों में हो सकता है स्त्री शिक्षा बढ़ जाती।

2. विश्वविद्यालयों में भारतीय प्रणालियों की शिक्षण की व्यवस्था - पहली बात तो यह है कि यह केवल 2-3 विश्वविद्यालयों में ही की जा सकी, और यदि उस समय सभी विश्वविद्यालयों में कर दी गयी होती तो भारतीय महिलाएं किसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाती।

3. आयोग ने मुसलमानों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का सुझाव देकर सांख्यिकता को बढ़ावा दिया।

4. आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय को लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर विकसित करने का सुझाव दिया।